निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 माघ 1943 (श0)
(सं0 पटना 45) पटना, मंगलवार, 1 फरवरी 2022

Je l¡lk/ku foHkkx ¼Je i{k½

आदेश
25 जनवरी 2022

dk0vk0l0 2@b3&258@2018&01@J0l0—माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0सं0–32079/2015 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से निर्गत शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–945 दिनांक 27.04.2017 के आलोक में शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–581 दिनांक 24.05.2021 तथा पत्रांक–784 दिनांक–13.07.2021 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का अधिकतम उम्र सीमा को क्षांत करते हुए समूह–'घ' (कार्यालय परिचारी) के पद पर श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में वेतन स्तर–1 प्रारंभिक वेतन 18000/– (18000–56900/–) में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों सहित नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है :–

Ø0 l0	Hkriwo vukSipkfjd f'k{kk vuqns'kd dk uke	firk@ifr dk uke	tUe frfFk	okLrfod tkfr@ dkfV	vuq'kflr dkfV	xg ftyk	inLFkkiu dk;kZy;
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री रामानन्द प्रसाद	श्री जगदीश नारायण	23.01.1969	BC-2	Gen	गोपालगंज	श्रम अधीक्षक का कार्यालय, सीवान
2	श्री सकलदेव राय	श्री ननीपत राय	20.10.1966	BC-2	Gen	पूर्वी चम्पारण	सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय, बेतिया
3	श्री राकेश कुमार यादव	श्री देवनारायण राय	01.03.1974	BC-2	Gen	पूर्वी चम्पारण	सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय, बेतिया
4	श्री कृष्णनन्दन प्रसाद यादव	श्री रामाश्रय राय	28.02.1979	BC-2	Gen	पूर्वी चम्पारण	उप श्रमायुक्त का कार्यालय, मुजफ्फरपुर

Ø0 l0	Hkkr i o} vukSi pkfjd f'k{kk vuns'kd dk uke	fi rk@ifr dk uke	tUe frfFk	okLrfod tkfr@ dkfV	vu;'kfl r dkfV	xg ftyk	inLFkkiu dk;kZy;
1	2	3	4	5	6	7	8
5	श्री विजय कुमार यादव	स्व0 महेन्द्र यादव	06.10.1966	BC-2	Gen	लखीसराय	श्रम अधीक्षक का कार्यालय, जमुई
6	श्री चन्द्रभान सिंह	श्री गनेश सिंह	20.02.1969	BC-2	Gen	सीवान	उप श्रमायुक्त का कार्यालय, मुजफ्फरपुर
7	श्री रामेश्वर यादव	श्री रामगणेश यादव	15.05.1972	BC-2	Gen	सीवान	उप श्रमायुक्त का कार्यालय, मुजफ्फरपुर
8	श्री शैलेन्द्र कुमार राय	स्व0 बदरी राय	10.10.1979	BC-2	Gen	सीवान	उप श्रमायुक्त का कार्यालय, मुजफ्फरपुर
9	श्री राजेन्द्र साह	स्व0 रामपूजन साह	08.01.966	BC-1	Gen	सीवान	सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय, सारण, छपरा
10	श्री कैलाश राम	श्री बालकिशुन राम	30.05.1963	SC	Gen	सीवान	सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय, सारण, छपरा

2. इनकी नियुक्ति नितांत अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
3. समायोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा क्षांत की जाती है (संकल्प सं0–945 दिनांक–27.04.2017 का कंडिका–'घ' के आलोक में)।
4. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–1919, दिनांक–18.01.1976 के अनुपालन में योगदान के समय दहेज नही लेने एवं देने संबंधी घोषणा–पत्र साथ ही संज्ञेय अपराध में सजायाफ्ता नहीं रहने एवं किसी भी न्यायालय में किसी तरह का मामला लंबित नहीं रहने संबंधी अद्यतन शपथ पत्र देना होगा।
6. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली–2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0–1964, दिनांक–31.08.2005, एवं 768, दिनांक–03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (N.P.S) लागू होगी।
7. यह नियुक्ति विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक, जन शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के समूह–'घ' के पदों पर समायोजन हेतु प्राप्त अनुशंसा एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के आधार पर किया जा रहा है। यदि कोई प्रमाण–पत्र या संबंधित कागजात किसी भी दृष्टिकोण से भविष्य में असत्य या त्रुटिपूर्ण पाया जायेगा तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ–साथ फौजदारी मुकदमा भी चलाया जा सकता है।
8. शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–581 दिनांक–24.05.2021 एवं 784 दिनांक–13.07.2021 के निर्गत किये जाने की संपुष्टि विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक, जन शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1347 दिनांक–06.10.2021 द्वारा होने के उपरांत नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।
9. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र0सु0 विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0–2082, दिनांक 01.04. 2003 के अनुपालन में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। योगदान के समय अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

10. सभी नवनियुक्त कर्मी पदस्थापित कार्यालय में अपना योगदान नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर समर्पित करेंगे।
11. नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/ योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने–जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आदेश से,
रंजीता,
श्रमायुक्त

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 45-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in